फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं [CAAS-2024/94]

मालीराम बनाम बाबूलाल वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नम्बर :– 39/2024

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29.05.2024	प्रार्थी अधिवक्ता ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति होनां प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 21.06.2024 को पेश हो। [signature]	
	21/6/24	वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 05/7/24 को पेश हो। [signature]	
	05/7/24	व. प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 से करवायी जाकर पत्रावली बाद तलबी दिनांक 15/7/24 को पेश हो। [signature]	
	15/7/24	व. प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु समन तलबाना पेश हुआ। नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 01/8/24 को पेश हो। [signature]	
	1/8/24	वकीलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 2/9/24 को पेश हो। [signature]	
	02/9/24	व. प्रार्थी उप0। पत्रावली बाद तलबी आगामी दिनांक 18/9/24 को पेश हो। [signature]	

18/9/14 व. प्रार्थी उप०। पत्रावली बहस तलबी रहकर आगामी दिनांक 23/10/14 को पेश हो। A.

सहायक [कलक्टर] चौमूँ (जयपुर)

23/10/14 व. प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की Rg. AD. रसीदें पेश की। पत्र शा. कि. हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/11/14 को पेश हो। A.

सहा[यक कलक्टर] चौमूँ (जयपुर)

18/11/14 व. प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की Rg. AD. रसीदों को एक माह से अधिक का समय हो चुका है इनकी ओर से कोई उप० नहीं है अत: इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28/11/14 को पेश हो। A.

सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

28/11/14 व. प्रार्थी उप०। बहस T.I. सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। इसके समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया। प्रा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति होना साबित नहीं होता है अत: प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। A.

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Presented by
Adv. Om Prakash Goswami Ji
Reader